न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 258 / 2018

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1 राजेन्द्र कुमार पुत्र उत्तमचन्द जाति जैन निवासी पियुश किराणा स्टोर, महादेव मार्केट, रोहट जिला पाली 2 निर्माता फर्म श्री स्पाईशेज़, एच. –1–200, मण्डोर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर जरिये भागीदार A राजेश डागा निवासी देवी कुन्ज, दामोदर कॉलोनी, नागौरी गेट के सामने, जोधपुर B हनुमान प्रसाद डागा निवासी देवी कुन्ज, दामोदर कॉलोनी, नागौरी गेट के सामने, जोधपुर C तेजस जे शाह निासी सी 104 कृष्णा कृपा सोसायटी, बडौदा, गुजरात

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्राथीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 28/11/2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 10.07.2017 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म पियुश किराणा स्टोर, महादेव मार्केट, रोहट जिला पाली से अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में वहां रखे हुए हल्दी पाउडर (मारवाड़ ब्राण्ड) 50 पैकेट में से 500 ग्राम

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

के पैकेट को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा सामग्री पर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–677 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर (मारवाड़ ब्राण्ड) को misbranded under Section 3(1)(zf)(C)(i) का माना है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा misbranded स्तर के हल्दी पाउडर (मारवाड़ ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी आज उपस्थित नहीं हुए है। इस कारण अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया, जिसमें अंकित किया कि अप्रार्थी द्वारा तैयार की गई सामग्री के लेबल पर प्रिन्टींग की त्रुटी से पूर्ण पता अंकित नहीं हो पाया है, इस हेतु अप्रार्थी भविष्य में ऐसी त्रुटी नहीं करेंगे। अतः परिवाद खारिज़ कराने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.07.2017 को अप्रार्थी की फर्म से हल्दी पाउडर (मारवाड़ ब्राण्ड) के नमूने को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–677 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./644/एक्ट/2017/643 दिनांक 14.07.2017 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–677 को misbranded under Section 3(1)(zf)(C)(i) स्तर का माना है। चूंकि प्रार्थी द्वारा जो नमूना लिया गया है, वह misbranded पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 50 व 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप खाद्य वस्तु का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 50,000/– तथा अप्रार्थी संख्या 2 पर 2,50,000/– दो लाख पचास हजार कुल 3,00,000/– कुल तीन लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अधिकारी, पाली को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 28/11/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली